

समलाल - चौथराह 205/2016

8-5-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांत ने उपस्थित न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10-7-19 को पेश हो।

10-7-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांत ने उपस्थित न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29-8-19 को पेश हो।

29-8-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांत ने उपस्थित न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 7-1-19 को पेश हो।

24-10-19 अपील नोट के अन्तर्गत पर डाकपेस हस्तान्तरण

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इफ्तदास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार हाकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

पु-प्रबन्धा आधकारी एम  
पदेन राजस्व अपील अधिकार  
सीकर



Next Press Name